राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	616/2025 गुलाबचन्द बनाम किशना हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 31/10/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
31/10/25	आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि ... किशना ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं ... निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/08/2024 पारित करते हुये तहसीलदार जालसू को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08/04/2025 पारित की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08/04/2025 से ... अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की ... जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री के माध्यम से पक्षकारान का किया गया विभाजन उचित एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है। जहां तक अपीलार्थी द्वारा उठाई गयी आपत्ति की ... काश्त की भूमि अन्य को दे दी गयी है, का प्रश्न है तो विभाजन के ... की अनुपालना करते हुये अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी (... ट्स एण्ड बाउन्ड्स) के आधार पर सहखातेदारान के मध्य प्रश्नगत भूमि का विभाजन किया जाना कानूनन आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08/04/2025 में कोई त्रुटी जाहिर नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08/04/2025 यथावत रखे जाकर अपील ... खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	